2025/429

आदेश
9.7.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

सिलोचना बनाम रोहिताश

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 97 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.06.2025	प्रार्थीया सिलोचना की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 2 एसपीएम के प.नं. 220/413(19) कि.नं. 16/2 की 0.013 है., 17 की 0.253 है., 18/2 की 0.240 है., 23/4 की 0.229 है., 24/2 की 0.240 है., 25/2 की 0.013 है. कुल 0.988 है. भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 17.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
9.7.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली आज पेशी पर लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के राजीनामा होने के कारण प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते मौजूदा स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज करवाना चाहते [illegible] है। मौजूदा स्थिति में [illegible] बाद तामील पत्रावली नम्बर से कम [illegible] बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	सिलोचना (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 15:55:10 IST
Reason: SelfAttested